



UPMZ050011712022

न्यायालय **CIVIL JUDGE (S.D.), Muzaffarnagar**

पीठासीन अधिकारी- (DR. DEVENDRA SINGH FAUZDAR), (उ०प्र० न्यायिक सेवा) - UP02111

Original Suit/815/2022

Jasvir Singh

Vs

Palvender .

दिनांक-12.04.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गयी। पुकार पर वादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। वादी की ओर से स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रतिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता उपस्थित।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि पत्रावली सुनवाई प्रार्थना पत्र 37ग हेतु नियत चल रही है। विगत अनेकों तिथियों से वादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं आ रहा है और न ही वादी की ओर से स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, वादी की ओर से पैरवी भी नहीं की जा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादी को अपना वाद चलाने में कोई रुचि नहीं है। ऐसी स्थिति में वाद वादी की अनुपस्थिति में आदेश 9 नियम 8 सी०पी०सी० के अन्तर्गत खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

वाद सं० 815 सन 2022 वादी की अनुपस्थिति में आदेश 9 नियम 8 सी०पी०सी० के अन्तर्गत खारिज किया जाता है। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफतर हो।

(डा० डी०एस० फौजदार)
सिविल जज (सीनियर डिवीजन)
मुजफ्फरनगर।